हरियाणा सरकार

सूचना, जन संपर्क एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग

अधिसूचना

संख्या 8/38/10-3 पी०पी०/बी० — दिनांक 26 अगस्त, 2011

दिनांक 18 नवम्बर, 2011

हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या 8/38/9-3 पी०पी०/बी० दिनांक 28-8-2009 द्वारा हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी का प्रशासनिक नियंत्रण शिक्षा विभाग से सूचना, जन सम्पर्क एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग, हरियाणा को हस्तांतरित किए जाने के परिणाम स्वरुप हरियाणा के राज्यपाल एतद् द्वारा हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी के संविधान तथा नियमों में निम्नानुसार संशोधन/परिवर्धन करते हैं :—

1. नाम तथा उपनाम : 'अकादमी का नाम हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी होगा।

2. प्रकृति : 'अकादमी एक स्वायतशासी संस्था होगी।

3. परिभाषा :
   - क. अकादमी से अभिप्राय है 'हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी'।
   - ख. राज्य सरकार से अभिप्राय है 'हरियाणा सरकार'।
   - ग. अध्यक्ष से अभिप्राय है 'अध्यक्ष, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी'।
   - घ वरिष्ठ उपाध्यक्ष–1 से अभिप्राय है 'वरिष्ठ उपाध्यक्ष–1 अकादमी
   - ङ वरिष्ठ उपाध्यक्ष–2 से अभिप्राय है 'वरिष्ठ उपाध्यक्ष–2 अकादमी
   - च कार्यकारी उपाध्यक्ष से अभिप्राय है 'प्रशासनिक उपाध्यक्ष' अकादमी
   - छ डिप्टी चेयरमैन से अभिप्राय है ' डिप्टी चेयरमैन अकादमी
   - ज निदेशक से अभिप्राय– निदेशक, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी ।
   - झ सदस्य से अभिप्राय– सदस्य, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी।
   - ञ. भाषा से अभिप्राय– पंजाबी भाषा।

4. मुख्यालय : अकादमी कार्यालय राज्य के मुख्यालय पंचकूला या सरकार द्वारा निर्धारित स्थान पर होगा।

5. उद्देश्य और कार्य :
   1. हरियाणा राज्य के लोगों में पंजाबी भाषा एवं साहित्य को प्रोत्साहित करना।
   2. हरियाणा राज्य में पंजाबी भाषा एवं साहित्य के प्रचार प्रसार और विकास को साहित्यकारों के सहयोग से बढ़ावा देना।
   3. हरियाणा राज्य के पंजाबी प्रमुख लेखकों के साहित्य का सम्पादन/टीकाकरण तथा वर्गीकरण करने उपरान्त प्रकाशित कराना तथा हरियाणा राज्य के पंजाबी लेखकों की जरुरी शैक्षणिक परियोजना, सांस्कृतिक ,साहित्य के विकास के लिए सहायतानुदान देना।
   4. पंजाबी साहित्य से सम्बन्धित संध/व्यक्तिगत ग्रन्थ सूची, शब्दकोश , शब्दावलियों इत्यादि का प्रकाशन।
   5. पंजाबी साहित्य की साहित्यिक, कलात्मक, ऐतिहासिक पाण्डुलिपियों के प्रकाशन को बढ़ावा देना ।
   6. उच्चस्तरीय विभिन्न भाषाओं के साहित्य को प्रोत्तसाहित करने के लिए पंजाबी भाषा में अनुवाद करवाना तथा पंजाबी भाषा का अन्य भाषाओं में।
   7. पंजाबी भाषा/साहित्य से सम्बन्धित महत्वपूर्ण अवसरों पर पंजाबी लेखकों के सहयोग से समारोह अयोजित करवाना।
   8. हरियाणा राज्य में पंजाबी भाषा एवं साहित्य के विकास के लिए भारत में स्थित अन्य पंजाबी अकादमियों तथा संस्थाओं से सम्बन्ध स्थापित करना।
   9. हरियाणा राज्य के प्रख्यात कवियों/लेखकों द्वारा आयोजित किये जाने वाले कवि दरबार, सैमीनार , संवाद कार्यशाला तथा बहुचर्चा सम्मेलन इत्यादि जो कि राज्य तथा अर्न्तराष्ट्रीय स्तर के हों के लिए अकादमी द्वारा उन द्वारा किये गये उच्चस्तरीय साहित्यिक कार्यों के लिए उन्हें उचित मानदेय ,तथा पुरस्कार प्रदान करना और उनके द्वारा किये गये साहित्यिक कार्य को प्रमाणित करना।

10. हरियाणा तथा अन्य राज्यों में व्यक्तिगत/साहित्यिक संस्थायों द्वारा आयोजित किये जाने वाले पंजाबी साहित्यिक,सांस्कृतिक आयोजनों के लिए सहायतानुदान प्रदान करना।
11. उच्चस्तरीय पंजाबी शोध–पत्रिका का प्रकाशन करना ।
12. हरियाणवी भाषा में किये गये शोध कार्यो का पंजाबी में अनुवाद/प्रकाशन करवाना तथा पंजाबी का हरियाणवी में।
13. हरियाणा राज्य के जरुरतमंद पंजाबी लेखकों को गरीबी/बिमारी की अवस्था में सहायतानुदान प्रदान करना।
14. हरियाणा राज्य में पंजाबी भाषा के हितों के लिए शैक्षणिक , सांस्कृतिक–रितिरिवाजों की सुरक्षा/संरक्षण और विकास के लिए पंजाबी चाहने वाले/पंजाबी लेखकों तथा सरकार में आपसी तालमेल बनाना।
15. पंजाबी अकादमी के आवश्यक आयोजनों में पंजाबी शोधकर्ता/शैक्षणिक व्यक्ति/लेखक/कवि/पत्रकारों को विशेष आयोजनों में आमंत्रित कर विशेष भाषण करवाना तथा अकादमी आयोजनों के लिए उनसे सलाह लेना।
16. हरियाणा की साहित्यिक सोसाईटी तथा संस्थाओं को साहित्यिक आयोजना के लिए सहायतानुदान देना।

6. संरचना : अकादमी में अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष–1एवं 2 कार्यकारी उपाध्यक्ष, डिप्टी चेयरमैन, एवं सदस्य निम्नानुसार होंगे :–

i. **अध्यक्ष** : मुख्यमन्त्री हरियाणा या हरियाणा सरकार द्वारा नियुक्त साहित्यिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति।

ii. **वरिष्ठ उपाध्यक्ष– I** : सूचना, जनसम्पर्क तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्री या स्वतंत्र कार्य प्रभार सहित राज्यमंत्री/ सूचना, जनसम्पर्क तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग के मंत्री/राज्यमंत्री न होने की स्थिति में विभाग के मुख्य संसदीय सचिव।

iii. **वरिष्ठ उपाध्यक्ष– II** : शिक्षामंत्री, हरियाणा, या स्वतंत्र कार्य प्रभार सहित शिक्षा राज्यमंत्री/ शिक्षा विभाग के मंत्री/ राज्यमंत्री न होने की स्थिति में विभाग के मुख्य संसदीय सचिव।

iv. **कार्यकारी उपाध्यक्ष** : वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव या आयुक्त एवं सचिव हरियाणा सरकार, सूचना, जन सम्पर्क एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग

v. **डिप्टी चेयरमैन** : हरियाणा सरकार द्वारा नामित पंजाबी साहित्यिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति।

पदेन सदस्य

1. वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव या आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग
2. वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव या आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, पर्यटन विभाग
3. वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव या आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग
4. वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव या आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग
5. निदेशक, सूचना, जन सम्पर्क एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग, हरियाणा सरकार
6. महानिदेशक, उच्चत्तर शिक्षा/उच्चतर शिक्षा आयुक्त, हरियाणा
7. महानिदेशक/निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा
8. सचिव, साहित्य अकादमी, दिल्ली
9. कुलपति, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक
10. कुलपति, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र
11. कुलपति, गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार
12. निदेशक, हरियाणा इतिहास एवं संस्कृति अकादमी, गुडगांव
13. निदेशक, हरियाणा कला परिषद, चण्डीगढ़
14. निदेशक, हरियाणा साहित्य अकादमी, पंचकूला
15. निदेशक, हरियाणा संस्कृत अकादमी, पंचकूला
16. निदेशक, हरियाणा उर्दू अकादमी, पंचकूला
17. निदेशक, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी, पंचकूला सदस्य सचिव

नामित सदस्य

1. राज्य सरकार द्वारा पंजाबी साहित्य, सांस्कृति तथा इतिहास के क्षेत्र से सम्बन्धित 10 विद्वानों का नामांकन हरियाणा सरकार द्वारा किया जाऐगा, जिनमें से कम से कम 3 सदस्य हरियाणा राज्य से होने चाहिए।
2. डिप्टी चेयरमैन– हरियाणा सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।
3. कार्यकारी उपाध्यक्ष द्वारा 5 विशेष आमंत्रित सदस्यों का नामांकन

7. नियम व विनियमन की शक्तियां : अकादमी कार्य संचालन के लिए अपने नियम व उपनियम बनाने में सक्षम है। यह नियम व शर्ते राज्य सरकार की स्वीकृति के उपरान्त तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

8. अकादमी की बैठक एवं उसकी कार्यविधि :

1. जनरल बाडी की वर्ष में कम से कम एक बैठक या अकादमी अध्यक्ष की अनुमति से किसी भी समय बुलाई जा सकती है।
2. प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त की प्रति राज्य सरकार को भेजी जायेगी।
3. बैठक की अध्यक्षता अकादमी अध्यक्ष करेंगे तथा उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ उपाध्यक्ष I या II बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
4. 1/3 सदस्य अकादमी बैठक का कोरम पूरा करेंगे।
5. अकादमी अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य उपयुक्त समितियों का गठन कर सकती है।
6. अध्यक्ष जनरल बाडी से सम्बद्व मामलों का निर्धारण बैठक बुलाने की अपेक्षा ऐसे मामले परिचालन के माध्यम से निर्णीत कर सकते हैं।

9. अकादमी का अधिकारी :

(i) निदेशक, अकादमी का अधिकारी होगा, उसकी योग्यता एवं अनुभव राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

(ii) निदेशक की नियुक्ति इस प्रकार :–

क. अकादमी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा जिसके द्वारा सभी आदेश तथा निर्णय पारित किये जायेंगे।

ख उसे वे सभी प्रशासकीय तथा वित्तीय शक्तियां होंगी जो हरियाणा सरकार के किसी विभागाध्यक्ष को प्राप्त होती हैं।

ग वह निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा:

(i) अकादमी के वार्षिक अनुदान तथा लेखा विवरण का प्रस्तुती करण।
(ii) अकादमी कोश का संरक्षण तथा यह सुनिश्चित करना कि यह कोश उसी कार्य के लिए उपयोग मे लाया गया है जिस हेतु प्राप्त हुआ था।
(iii) बैठक की कार्यसूची तैयार करना तथा बैठक के कार्यवृत्त की प्रतियां सम्बद्व विभाग को भेजना।
(iv) अन्य निर्धारित कार्यो का निष्पादन।

10. अमला

1) अकादमी द्वारा प्रशासकीय, तकनीकी, लिपिकीय तथा अन्य पदों का सृजन किया जायेगा तथा इन पर सेवा नियमावली के अनुरूप नियुक्तियां की जायेंगी। चूंकि जनरल बाडी की अध्यक्षता मुख्यमन्त्री द्वारा की जाती है जिसमें अन्य मंत्रीगण एवं विभिन्न प्रशासनिक सचिव, वरिष्ठ पदाधिकारी तथा वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार वित्त विभाग भी जनरल बाडी के सदस्य हैं, इसलिए जनरल बाडी द्वारा लिए गये निर्णयों को वित्त विभाग को प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

11) 9300–34800+4200 वेतनमान या इससे अधिक वेतनमान के पद की नियुक्ति कार्यकारी उपाध्यक्ष अकादमी द्वारा की जाएगी तथा इसकी अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति Standing Committee की सिफारिश पर निदेशक अकादमी द्वारा की जा सकेगी।

11. सामान्य :

1. अकादमी स्वायत्तशासी संस्था होगी। जिसकी अपनी स्थायी मोहर होगी और अपने स्थापित उद्देश्य सम्बन्धी कानूनी कार्यवाही करने में सक्षम होगी।
2. अकादमी सदस्य निम्न स्थिति में अकादमी का सदस्य नहीं रहेगा:–
   - क. मृत्यु होने पर या
   - ख. त्यागपत्र देने पर या
   - ग. मानसिक सन्तुलन खोने पर या
   - घ. दिवालिया घोषित होने पर या

ड. फौजदारी मुकदमें में सजा होने पर या

च अकादमी में पूरे समय के लिए कर्मचारी/ निदेशक बनने पर या

छ लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।

3. यदि अकादमी का कोई सदस्य जो अकादमी के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करता है तो अकादमी हित में उसे 2/3 बहुमत से विशेष प्रस्ताव पारित कर सदस्यता से हटाया जा सकता है।

4. नामित सदस्यों का कार्यकाल प्रथमतया दो वर्ष होगा।

5. अकादमी के संविधान में राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से ही कोई संशोधन किया जा सकता है।

12. कार्यकारी परिषद् स्थायी समिति एवं चयन समिति : अकादमी की एक कार्यकारी परिषद् व स्थायी समिति होगी जिसकी संरचना इस प्रकार है:

अध्यक्ष वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव सूचना, जन सम्पर्क एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग, हरियाणा सरकार एवं कार्यकारी उपाध्यक्ष, अकादमी

सदस्य :

1. निदेशक, सूचना, जन सम्पर्क एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग, हरियाणा सरकार
2. निदेशक, हरियाणा उर्दू अकादमी, पंचकूला
3. निदेशक, हरियाणा साहित्य अकादमी, पंचकूला
4. निदेशक, हरियाणा संस्कृत अकादमी, पंचकूला
5. निदेशक, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी, पंचकूला सदस्य सचिव

6–7 कार्यकारी उपाध्यक्ष द्वारा नामित जनरल बाडी के दो गैर सरकारी सदस्य।

कार्य :

क कार्यकारी परिषद, स्थायी समीति एवं चयन समिति की बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष, कार्यकारी परिषद द्वारा की जायेगी।

ख कार्यकारी परिषद् स्थायी समीति एवं चयन समिति की बैठक में तीन सदस्यों की उपस्थिति कोरम पूरा करने के लिए अनिवार्य होगी। समिति की बैठक के स्थगन के लिए किसी कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

ग कार्यकारी परिषद्, स्थायी समीति एवं चयन समिति की तिमाही बैठक होगी।

घ समिति के अध्यक्ष द्वारा स्वयं या निदेशक को लिखित प्रतिवेदन देकर किसी भी समय समिति की बैठक बुलाई जा सकती है।

शक्तियां:

1. चालू वित्त वर्ष के दौरान अकादमी द्वारा कार्यान्वित किये जाने वाले कार्यक्रमों और परियोजनाओं का अनुमोदन करना।
2. यह समिति अकादमी कर्मचारियों की नई नियुक्तियों हेतु चयन समिति के रूप में कार्य करेगी।
3. बजट प्रावधनों का पुनः निर्धारण।
4. अकादमी अध्यक्ष द्वारा अग्रेषित मामलों पर विचार करने हेतु बैठक बुलाई जा सकती है।

हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी के नियम

1. नाम : अ. ये नियम हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी के नाम से जाने जाएगें
आ. यह हरियाणा सरकार के अनुमोदन के बाद ही लागू होगे।

2. प्रकृति : 'अकादमी एक स्वायतशासी संस्था होगी।

3. परिभाषा : क. अकादमी से अभिप्राय है 'हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी'।
ख राज्य सरकार से अभिप्राय है 'हरियाणा सरकार'।
ग अध्यक्ष से अभिप्राय है 'अध्यक्ष, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी'।
घ वरिष्ठ उपाध्यक्ष–1 से अभिप्राय है 'वरिष्ठ उपाध्यक्ष–1 अकादमी
ड वरिष्ठ उपाध्यक्ष–2 से अभिप्राय है 'वरिष्ठ उपाध्यक्ष–2 अकादमी
च कार्यकारी उपाध्यक्ष से अभिप्राय है 'प्रशासनिक उपाध्यक्ष' अकादमी
छ. डिप्टी चेयरमैन से अभिप्राय है ' डिप्टी चेयरमैन अकादमी
ज. निदेशक से अभिप्राय– निदेशक, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी ।
झ. सदस्य से अभिप्राय– सदस्य, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी ।
ञ. भाषा से अभिप्राय–पंजाबी भाषा।

4. मुख्यालय : अकादमी कार्यालय राज्य के मुख्यालय पंचकूला या सरकार द्वारा निर्धारित स्थान पर होगा।

5. नियन्त्रण : अकादमी हरियाणा सरकार के दिशा निर्देशन में कार्य करेगी।

6. संरचना : अकादमी में अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष–1एवं 2 कार्यकारी उपाध्यक्ष, डिप्टी चेयरमैन एवं सदस्य नियमानुसार होंगे :–

i. अध्यक्ष :
मुख्यमन्त्री हरियाणा या हरियाणा सरकार द्वारा नियुक्त साहित्यिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति।

ii. वरिष्ठ उपाध्यक्ष– I :
सूचना, जनसम्पर्क तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्री या स्वतंत्र कार्य प्रभार सहित राज्यमंत्री / सूचना, जनसम्पर्क तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग के मंत्री, राज्यमंत्री न होने की स्थिति में विभाग के मुख्य संसदीय सचिव।

iii. वरिष्ठ उपाध्यक्ष– II :
शिक्षामंत्री, हरियाणा, या स्वतंत्र कार्य प्रभार सहित शिक्षा राज्यमंत्री / शिक्षा विभाग के मंत्री / राज्यमंत्री न होने की स्थिति में विभाग के मुख्य संसदीय सचिव।

iv. कार्यकारी उपाध्यक्ष :
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव या आयुक्त एवं सचिव हरियाणा सरकार, सूचना, जन सम्पर्क एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग,

v डिप्टी चेयरमैन :
हरियाणा सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।

पदेन सदस्य

1. वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव या आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग
2. वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव या आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, पर्यटन विभाग
3. वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव या आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, उच्चतर शिक्षा
4. वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव या आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, स्कूल शिक्षा
5. निदेशक, सूचना, जन सम्पर्क एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग, हरियाणा सरकार
6. महानिदेशक, उच्चत्तर शिक्षा / उच्चतर शिक्षा आयुक्त, हरियाणा
7. महानिदेशक / निदेशक, स्कूल शिक्षा, हरियाणा
8. सचिव, साहित्य अकादमी, दिल्ली
9. कुलपति, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक
10. कुलपति, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र
11. कुलपति, गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार

12. निदेशक, हरियाणा इतिहास एवं संस्कृति अकादमी, गुड़गांव
13. निदेशक, हरियाणा कला परिषद, चण्डीगढ़
14. निदेशक, हरियाणा साहित्य अकादमी, पंचकूला
15. निदेशक, हरियाणा संस्कृत अकादमी, पंचकूला
16. निदेशक, हरियाणा उर्दू अकादमी, पंचकूला
17. निदेशक, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी, पंचकूला —सदस्य सचिव—

नामित सदस्य

1. राज्य सरकार द्वारा पंजाबी साहित्य, सांस्कृतिक के क्षेत्र से सम्बन्धित 10 विद्वानों का नामांकन हरियाणा सरकार द्वारा किया जाएगा, जिनमें से कम से कम तीन सदस्य हरियाणा राज्य से होने चाहिए।
2. **डिप्टी चेयरमैन** : हरियाणा सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।
3. कार्यकारी उपाध्यक्ष द्वारा 5 विशेष आमंत्रित सदस्यों का नामांकन
4. अकादमी के सदस्य की सदस्यता ऐसी स्थिति में समाप्त समझा जायेगी:—
   - क. मृत्यु होने पर या
   - ख. त्यागपत्र देने पर या
   - ग. मानसिक सन्तुलन खोने पर या
   - घ. दिवालिया घोषित होने पर या
   - ड. फौजदारी मुकद्दमें में सजा होने पर या
   - च. अकादमी में पूरे समय के लिए कर्मचारी / निदेशक बनने पर या
   - छ. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।
5. यदि अकादमी का कोई सदस्य जो अकादमी के उदेश्यों के विपरीत कार्य करता है तो अकादमी हित में उसे 2/3 बहुमत से विशेष प्रस्ताव पारित कर सदस्यता से हटाया जा सकता है।
6. नामित सदस्यों का कार्यकाल प्रथमतया दो वर्ष होगा।
7. अकादमी के संविधान में राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से ही कोई संशोधन किया जा सकता है।

7. अकादमी की बैठक एवं उसकी कार्यविधि :

1. जनरल बाडी की वर्ष में कम से कम एक बैठक या अकादमी अध्यक्ष की अनुमति से किसी भी समय बुलाई जा सकती है।
2. प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त की प्रति राज्य सरकार को भेजी जीयेगी।
3. बैठक की अध्यक्षता अकादमी अध्यक्ष करेंगे तथा उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ उपाध्यक्ष I या II बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
4. 1/3 अकादमी सदस्य बैठक का कोरम पूरा करेंगे।
5. अकादमी अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य उपयुक्त समितियों का गठन कर सकती है।
6. अध्यक्ष जनरल बाडी से सम्बद्व मामलों का निर्धारण बैठक बुलाने की अपेक्षा ऐसे मामले परिचालन के माध्यम से निर्णीत कर सकते हैं।

8. अकादमी के अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष I, II कार्यकारी उपाध्यक्ष तथा अकादमी निदेशक की शक्तियां :

1. **अध्यक्ष** : वे सभी वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां जो अध्यक्ष के नाते मुख्यमन्त्री द्वारा की जाती हैं का सरकार हित में प्रयोग करेंगे।
2. **वरिष्ठ उपध्यक्ष I** : वे सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो सूचना, जनसम्पर्क एवं सांस्कृतिक मामला विभाग के मन्त्री द्वारा वित्तीय शक्तियों के प्रयोग में लाई जाती हैं।
3. **वरिष्ठ उपाध्यक्ष II** : वे सभी वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो शिक्षा मन्त्री द्वारा प्रयोग में लाई जाऐगी।
4. **कार्यकारी उपाध्यक्ष** : उन सभी प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा जो वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव आयुक्त, सचिव सूचना एवं लोक सम्पर्क सांस्कृतिक कार्य विभाग हरियाणा द्वारा की जाती है या वे शक्तियां जो उसे प्रदत्त की हैं।
5. **निदेशक** : वे उन सभी प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं जो हरियाणा सरकार के विभागाध्यक्ष को प्राप्त हैं।

9. अमला :

1) अकादमी द्वारा प्रशासनिक, तकनीकी, लिपिकीय तथा अन्य पदों का सृजन किया जायेगा तथा इन पर सेवा नियमावली के अनुरूप नियुक्तियां की जाऐंगी। चूंकि जनरल बाडी की अध्यक्षता मुख्यमन्त्री द्वारा की जाती है जिसमें अन्य मन्त्रीगण एवं विभिन्न प्रशासनिक सचिव, वरिष्ठ पदाधिकारी तथा प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वित्तविभाग भी जनरल बाडी के सदस्य

हैं, इसलिए जनरल बाडी द्वारा लिए गए निर्णयों को वित्त विभाग को प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

2) अकादमी के 9300–34800+4200 अथवा इससे अधिक वेतनमान के कर्मचारियों/ अधिकारियों की नियुक्ति कार्यकारी उपाध्यक्ष द्वारा की जाएगी। शेष कर्मचारियों की नियुक्ति कार्यकारी परिषद, स्थायी समिति एवं चयन समिति की सिफारिश पर निदेशक द्वारा की जाएगी।

10. अकादमी निधि का रख रखाव : यहां जो भी फण्ड होगा वह अकादमी फण्ड के नाम से जाना जाएगा। अकादमी में सरकार या किसी अन्य जगह से प्राप्त होने वाला फण्ड किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में अकादमी अकाउंट खुलवा कर निदेशक अकादमी की देख रेख में रखा जाएगा। हर वर्ष अकादमी लेखों का परीक्षण महा–लेखाकार हरियाणा से करवा कर इसकी रिपोर्ट 6 मास के अन्दर अन्दर वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले भिजवानी होगी।

11. सामान्य : ये सभी प्रशासनिक एवं वित्तीय मामले हरियाणा सरकार के नियमानुसार लागू किए जाएंगे।

12. कार्यकारी परिषद स्थाई समिति एवं चयन समिति : अकादमी की एक कार्यकारी परिषद् व स्थायी समिति होगी जिसकी संरचना इस प्रकार है:

अध्यक्ष : वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव सूचना, जन सम्पर्क एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग, हरियाणा सरकार एवं कार्यकारी उपाध्यक्ष, अकादमी

सदस्य :
1. निदेशक, सूचना, जन सम्पर्क एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग, हरियाणा सरकार
2. निदेशक, हरियाणा उर्दू अकादमी, पंचकूला
3. निदेशक, हरियाणा साहित्य अकादमी, पंचकूला
4. निदेशक, हरियाणा संस्कृत अकादमी, पंचकूला
5. निदेशक, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी, पंचकूला सदस्य सचिव

6–7. कार्यकारी उपाध्यक्ष द्वारा नामित शासी परिषद् के दो गैर सरकारी सदस्य।

कार्य :
क कार्यकारी परिषद, स्थायी समीति एवं चयन समिति की बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष, कार्यकारी परिषद द्वारा की जायेगी।

ख कार्यकारी परिषद, स्थायी समीति एवं चयन समिति की बैठक में तीन सदस्यों की उपस्थिति कोरम पूरा करने के लिए अनिवार्य होगी। समिति की बैठक के स्थगन के लिए किसी कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

ग कार्यकारी परिषद् स्थायी समीति एवं चयन समिति की तिमाही बैठक होगी।

घ समिति के अध्यक्ष द्वारा स्वयं या निदेशक को लिखित प्रतिवेदन देकर किसी भी समय समिति की बैठक बुलाई जा सकती है।

शक्तियां:
1. चालू वित्त वर्ष के दौरान अकादमी द्वारा कार्यान्वित किये जाने वाले कार्यक्रमों और परियोजनाओं का अनुमोदन करना।
2. यह समिति अकादमी कर्मचारियों की नई नियुक्तियों हेतु चयन समिति के रूप में कार्य करेगी।
3. बजट प्रावधनों का पुनः निर्धारण।
4. अकादमी अध्यक्ष द्वारा अग्रेषित मामलों पर विचार करने हेतु बैठक बुलाई जा सकती है।

13 निरसन हरियाणा सरकार शिक्षा विभाग की अधिसूचना कमांक 5/2/96– दिनांक 22.10.1996 द्वारा अधिसूचित अकादमी के संविधान के नियमों का निरसन करते हुए उनमें संशोधन/परिवर्तन किया जाता है।

डॉ० के०के० खण्डेलवाल,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार
सूचना, जन सम्पर्क एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

INFORMATION, PUBLIC RELATIONS & CULTURAL AFFAIRS DEPTT.

Notification

The 26th August, 2011

No. 8/4/10-3PP/B

The 18th November, 2011

Consequent upon the transfer of administrative control of Haryana Punjabi Sahitya Akademi from Education Department, Haryana to the Information, Public Relations & Cultural Affairs Department Haryana *vide* Haryana Government Notification No. 8/38/09-3PP/B dated 28th August, 2009. The Governor of Haryana is pleased to notify the amended and modifications in the Constitution and Rules of Haryana Punjabi Sahitya Akademi, as under :—

1. Name and Short title : The Akademi shall be called 'Haryana Punjabi Sahitya Akademi'.

2. Nature: This Akademi shall be an autonomous body.

3. Definitions:

(a) 'Akademi' means the 'Haryana Punjabi Sahitya Akademi'.

(b) 'State Government' means the Government of Haryana.

(c)'Chairman' means the Chairman of the Akademi.

(d 'Senior Vice Chairman: 1' means the Senior ViceChairman-I of the Akademi.

(e) 'Sr. Vice Chairman-II' means Senior Vice Chairman-II of the Akademi.

(f) 'Executive Vice Chairman' means the Executive Vice Chairman of the Akademi.

(g) Deputy Chairman means Deputy Chairman of the Akademi.

(h) 'Director' means the Director of the Akademi.

(i) 'Member' means a member of the Akademi.

(j) 'Language' means Punjabi Language.

4. Headquarters: The Akademi shall be located at the State headquarters Panchkula or at any other place decided by the Govt.

5.The Objectives: and functions of the Akademi:

(a) To encourage progagation, study and promotion of Panjabi language and its literature among the people of Haryana.

(b) To promote cooperation among men of letters for the promotion and development of Panjabi language and literature in the state of Haryana.

(c) To publish Panjabi literature of writers of eminence especially from the state of Haryana, to publish, edited/annotated works of classical Panjabi writers preferably belonging to the state of Haryana and to provide financial help to Panjabi writers in their

academic projects necessary for promotion of Panjabi language and preservation of Panjabi literary tradition in the state.

(d) To publish or to assist associations and individuals in publishing anthologies of various genres of Panjabi literature including bibliographies, dictionaries, encyclopedias, basic vocabularies etc.

(e) To take steps for publications and of manuscripts of literary, artistic and historical value.

(f) To encourage translation of works literary of merit from various language to Punjabi and vice versa.

(g) To celebrate important events connected with Punjabi language / Literature with Punjabi writers.

(h) To establish contacts with others Panjabi Sahitya Akademies/ Institution in various Indian states for Promotion of Panjabi languageand literature in Haryana state.

(i) To encourage bulding poets and writers of Panjabi in the state by organising Kavi Darbars, Seminars, Symposium, work shops, group discussions, conferences etc. at state and National levels and honouring the Poets and writers with appropriate awards, Prizes and distinctions in recognition of their outstanding literary work.

(j) To provide financial help to other institutions/(including non Panjabi states) individuals for holding literary, cultural functions In the state.

(k) To publish a literary journal of high standard in Panjabi.

(l) To undertake research or provide help in projects concerned with linguistic researches regarding influence of Haryanvi language on Punjabi and vice versa.

(m) To provide financial help to needy Panjabi writers in the state who are in indigent circumstances and to help next of kinds of deceased Panjabi writers in special deserving cases.

(n) To maintain a liaison between the Panjabi lovers/Panjabi writers and the state Government for protection, preservation and promotion of the interests of Panjabi language in educational and cultural systems in the states.

(o) To invite scholars/Akademicians/writers/poets/journalists/men of distinctions to deliver special lectures and to associate them in assisting with the various projects of the akademi, and

(p) To aid and assist the literary Societies and Institutions of Haryana for organizing Punjabi functions.

6. **Structure:** The Akademi shall consists of Chairman, Senior Vice Chairman- I & II, Executive Vice Chairman, Deputy Chairman and Members as given below:

(i) Chairman : Chief Minister or any other person, having literary back ground, to be appointed by the Govt.

(ii) Senior Vice–Chairman I: Minister of Information, Public Relations & Cultural Affairs Department or Minister for State IPRCA Deptt. if holding independent charge or CPS for IPRCA Deptt in case there is no Cabinet Minister or MOS is appointed for the Deptt. of IPRCA.

(iii) Senior Vice- Chairman : II Education Minister, or MOS for Education if holding independent charge or CPS holding the charge of Education in case there is no independent Cabinet Minister or MOS appointed for the Deptt.of Education.

(vi) Executive Vice-Chairman: Financial Commissioner & Principal Secretary or Commissioner & Secretary to Govt. of Haryana, IPR & Cultural Affairs Deptt.

(iv) Deputy Chairman: Any person having literary Punjabi background to be nominated by the State Govt.

(v) Ex Officio Members:

1. Financial Commissioner and Principle Secretary Commissioner & Secretary to Govt, of Haryana, FinanceDeptt.
2. Financial Commissioner and Principle Secretary or Commissioner & Secretary Govt. of Haryana, Tourism Deptt.
3. Financial Commissioner and Principle Secretary or Commissioner & Secretary to Govt. of Haryana, Higher Education Deptt.
4. Financial Commissioner and Principle Secretary or Commissioner & Secretary to Govt. of Haryana, School Education Deptt..
5. Director,
   Information, Public Relations and Culture Affairs Department.
6. Director General, Higher Education, Haryana or Higher Education Commissioner, Haryana.
7. Director General /Director, School Education Deptt, Haryana
8. Secretary, Sahitya Akademi New Delhi
9. Vice-Chancellor, MDU, Rohtak
10. Vice-Chancellor, K.U. Kurukshetra.
11. Vice-Chancellor, GJU, Hissar.
12. Director, Haryana Akademi of History and Culture Gurgaon.
13. Director, Kala Parishad, Haryana
14. Director, Haryana Sahitya Akademi, Panchkula.
15. Director, Haryana Sanskrit Akademi, Panchkula.
16. Director, Urdu Akademi, Haryana.
17. Director, Haryana Punjabi Sahitya Akademi, Member Secretary.

(iv) Nominated Members :

1 The State Government shall nominate up to ten members from amongst persons eminent in the field of literature, history and culture of Haryana out of whom atleast three shall belongs to Haryana State.

2. **Deputy Chairman** : Nominated by the State Govt.

3. Five Special Invitees nominated by the Executive Vice-Chairman

7. Power to make rules The Akademi shall have the power to make rules and regulations governance.They shall come into force after the approval of State Govt.

8. Meeting of the: Akademi and its proceeding (i) The Akademi (Governing Body) shall meet at least once in a year or earlier as often the Chairman of the Akademi desires. procedure thereof

(ii) A copy of the proceedings of every meeting of the Akademi shall be sent to the State Government.

(iii) The Chairman of the Akademi and in his absence the Senior Vice Chairman I or II of the Akademi' shall preside over the meeting of the Akademi.

(iv) One third members of the Akademi shall form the quorum.

(v) The Akademi, for furtherance of its objectives may set up such committees, as it may deem fit.

(vi) The Chairman may direct that any case referable to the Akademi instead of being brought up for discussion at a meeting of the Akademi to be decided by circulation.

9. Officer of the Akademi: (i) The Director shall be the Officer of the Akademi. He shall possess such qualifications and experience as prescribed by the Govt.

(ii) The Director so appointed shall be:

(a) the Principle Executive Officer of the Akademi and shall authenticate all orders and decisions.

(b) entitled to exercise all such administrative and financial powers as are exercised by the Head of Deptt. Of Haryana Government ; and

(c) responsible for

i) the presentation of annual estimates and statements of accounts to the Akademi

ii) the custody of the Akademi's fund and ensuring that the whole amount of the fund has been spent for the purpose to which that is granted or allotted.

iii) preparing agenda and keeping the minutes of the meetings of the Akademi and furnishing a copy there of to The concerned quarters; and

iv) discharging such other functions as may be prescribed.

10.Staff : i)The Akademi shall create administrative, technical, ministerial and other posts and make appointments there to in accordance with rules and regulations. The Governing Body is Chaired by Chief Minister and there are other Ministers and various Secretaries & Senior functionaries are members in the Governing Body of the Akademi, Financial Commissioner & Principal Secretary Finance is a Member, accordingly cases approved by Governing Body would not be referred to Finance Deptt.

ii)Appointment to the post carrying a pay band of Rs.9300-34800+4200 grade pay or above shall made by the Ex.Vice Chairman and the Director Shall be the appointing authority of the remaining staff on the recommendation of standing committee.

11. General: (i) The Akademi shall be a corporate body and shall have perpetual seal and may sue or to be sued in its corporate name.

(ii) A member of the Akademi shall cease to be a member if he

(a) dies, or

(b) resigns, or

(c) becomes of unsound mind, or

(d) is adjudged insolvent, or

(e) is convicted of criminal offence, or

(f) accepts a full time appointment on the staff of the Akademi, or

(g) fails to attend two consecutive meetings, unless decided by the governing Body otherwise.

(iii) If any member of the Akademi acts in contravention of the objectives of the Akademi or persistently does anything in a manner detrimental to the interest of the Akademi, he shall be liable for removal from the membership by a special resolution passed by two-third members of the Akademi.

(iv) The term of appointment for the nominated members shall be two years in the first instance.

(v) The amendments to the constitution of the Akademi can be made only with the prior approval of the State Government.

12. The Executive Council-cum-Standing Committee Cum selection Committee

There shall be an Executive Council- cum Standing Committee-Cum selection committee of the Akademi consisting of following members:

(1) **Chairman:** Financial Commissioner & Principal Secretary To Govt.of Haryana, Information, Public Relations & Cultural Affairs Deptt. cum Executive Vice- Chairman of the Akademi.

(2) **Members:**

1. Director, Information & Public Relations & Cultural, Affairs

Deptt Haryana:

2 Director, Haryana Urdu Akademi, Panchkula

3. Director, Haryana Sahitya Akademi, Panchkula.

4. Director, Haryana Sanskrit Akademi, Panchkula.

5. Director, Haryana Punjabi Sahitya Akademi, Member Secretary.

6-7. Two members out of the non official members of the Governing Body may be nominated by the Executive Vice-Chairman of the Akademi.

Functions

(a) Every meeting of the Executive Council cum Standing Committee cum Selection Committee shall be presided over by its Chairman.

(b) Three members of the Executive Council Council cum Standing Committee cum Selection Committee present in person shall constitute the quorum. No quorum shall be required for adjourned meeting.

(c) The Executive Council cum Standing Committee cum Selection Committee shall meet at least every quarter a year.

(d) The Chairman of the Executive Council cum Standing Committee cum Selection Committee may himself call or by a requisition in writing may suggest the Director of the Akademi to call a meeting of the Executive Council at any time,

Powers:

1) To approve the programs & projects of the Akademi to be implemented and executed during the current year.
2) Executive Council shall work as Selection Committee also for the new appointments of the Akademi staff.
3) For re-appropriation of budget provision.
4) To consider such matters as are referred to it by the Chairman of the Akademi.

HARYANA PUNJABI SAHITYA AKADEMI RULES

1. Name : a) These rules shall be called Haryana Punjabi Sahitya Akademi rules.
b) They shall come in to the force after the approval of the State Govt.

2. Nature: This Akademi shall be an autonomous body.

3. Definitions: (a) 'Akademi' means the 'Haryana Punjabi Sahitya Akademi'.
(b) 'State Government' means the Government of Haryana.
(c) 'Chairman' means the Chairman of the Akademi.
(d) 'Senior Vice Chairman: 1' means the Senior ViceChairman-I of the Akademi.
(e) 'Sr. Vice Chairman-II' means Senior Vice Chairman-II of the Akademi.
(f) 'Executive Vice Chairman' means the Executive Vice Chairman of the Akademi.
(g) Deputy Chairman means Deputy Chairman of the Akademi.
(h) 'Director' means the Director of the Akademi.
(i) 'Member' means a member of the Akademi.
(j) 'Language' means Punjabi Language.

4. Headquarters: The Akademi shall be located at the State headquarters Panchkula or at any other place decided by the Govt.

5. Control The Akademi shall be controlled by the State Govt. and shall work in Accordance with its directions.

6. Structure: The Akademi shall consists of Chairman, Senior Vice Chairman- I & II, Executive Vice Chairman, Deputy Chairman and Members as given below:

(i) Chairman : Chief Minister or any other person, having literary back ground, to be appointed by the Govt.

(ii) Senior Vice–Chairman I: Minister of Information, Public Relations & Cultural Affairs Department or Minister for State IPRCA Deptt. if holding independent charge or CPS for IPRCA Deptt in case there is no Cabinet Minister or MOS is appointed for the Deptt. of IPRCA.

(iii) Senior Vice- Chairman : II Education Minister, or MOS for Education if holding independent charge or CPS holding the charge of Education in case there is no independent Cabinet Minister or MOS appointed for the Deptt.of Education.

(vi) Executive Vice-Chairman: Financial Commissioner & Principle Secretary or Commissioner & Secretary to Govt. of Haryana, IPR & Cultural Affairs Deptt.

(iv) Deputy Chairman: Any person having literary Punjabi background to be nominated by the State Govt.

(v) Ex Officio Members:

1 Financial Commissioner and Principal Secretary or Commissioner & Secretary to Govt, of Haryana, Finance Deptt.

2. Financial Commissioner and Principal Secretary or Commissioner & Secretary Govt. of Haryana, Tourism Deptt
3. Financial Commissioner and Principle Secretary or Commissioner & Secretary to Govt. of Haryana, Higher Education Deptt.
4. Financial Commissioner and Principle Secretary or Commissioner & Secretary to Govt. of Haryana, School Education Deptt..
5. Director, Information, Public Relations and Culture Affairs Department.
6. Director General, Higher Education, Haryana or Higher Education Commissioner, Haryana.
7. Director General /Director, School Education Deptt, Haryana
8. Secretary, Sahitya Akademi New Delhi
9. Vice-Chancellor, MDU, Rohtak
10. Vice-Chancellor, K.U. Kurukshetra.
11. Vice-Chancellor, GJU, Hissar.
12. Director, Haryana Akademi of History and Culture Gurgaon.
13. Director, Kala Parishad, Haryana
14. Director, Haryana Sahitya Akademi, Panchkula.
15. Director, Haryana Sanskrit Akademi, Panchkula.
16. Director , Urdu Akademi, Haryana.
17. Director, Haryana Punjabi Sahitya Akademi, Member Secretary.

(iv) Nominated Members :

1 The State Government shall nominate up to ten members from amongst persons eminent in the field of literature, history and culture of Haryana out of whom at least three shall belongs to Haryana State.
2. Deputy Chairman : Nominated by the State Govt.
3. Five Special Invitees nominated by the Executive Vice-Chairman
4. A member of the Akademi shall cease to be a member if he
   (a) dies, or
   (b) resigns, or
   (c) becomes of unsound mind, or
   (d) is adjudged insolvent, or
   (e) is convicted of criminal offence, or
   (f) accepts a full time appointment on the staff of the Akademi, or
   (g) fails to attend two consecutive meetings, unless decided by the governing Body otherwise.
5. If any member of the Akademi acts in contravention of the objectives of the Akademi or persistently does anything in a manner detrimental to the interest of the Akademi, he shall be liable for removal from the

membership by a special resolution passed by two-third members of the Akademi.

6. The term of appointment for the nominated members shall be two years in the first instance.

7. The amendments to the constitution of the Akademi can be made only with the prior approval of the State Government.

7. Meeting of the: Akademi and its Procedure thereof

(i) The Akademi (Governing Body) shall meet at least once in a year or earlier as often the Chairman of the Akademi desires. thereof

(ii) A copy of the proceedings of every meeting of the Akademi shall be sent to the State Government.

(iii) The Chairman of the Akademi and in his absence the Senior Vice Chairman I or II of the Akademi' shall preside over the meeting of the Akademi.

(iv) One third members of the Akademi shall form the quorum.

(v) The Akademi, for furtherance of its objectives may set up such committees, as it may deem fit.

(vi) The Chairman may direct that any case referable to the Akademi instead of being brought up for discussion at a meeting of the Akademi to be decided by circulation.

8. Powers of Chairman, Senior Vice Chairman 1& II & Executive Vice Charman & Director :

1) **Chairman**- He shall exercise full financial and Administrative powers. In case the Chairman is other than CM, He shall exercise all financial and administrative powers as are entrusted by the govt.

2) **Senior Vice-Chairman I**- He shall exercise all such financial and administrative powers as are excercised by the MOIPR Deptt.,

3) **Senior Vice-Chairman-II** – He shall exercise all Financial and Administative powers as are exercised by the Education Minister.

4) **Executive Vice-Chairman** He shall exercise all such administrative and financial powers as are exercised by the Financial Commissioner & Principal Secretary or CS,IPRC, Deptt. Or all such powers as delegated.

5)**Director**- He shall exercise all such administrative and financialpowers as are exercised by the Head of Deptt., of Haryana Govt.

9.Staff :

i)The Akademi shall create administrative, technical, ministerial and other posts and make appointments there to in accordance with rules and regulations. The Governing Body is Chaired by Chief Minister and there are other Ministers and various Secretaries & Senior functionaries are members in the Governing Body of the Akademi, Financial Commissioner & Principal Secretary Finance is a Member, accordingly cases approved by Governing Body would not be referred to Finance Deptt.

ii)Appointment to the post carrying a pay band of Rs.9300-34800+4200 grade pay or above shall made by the Ex.Vice Chairman and the Director Shall be the appointing authority of the remaining staff on the recommendation of standing committee.

10.Constitution of Akademi funds : There shall be a fund to be known as the Akademi's . The fund shall be kept in some nationlised bank and the amount received from Govt. or any other source shall be deposited in the respective accounts, which shall be operated by the Director. The accounts of the Akademi shall be got Audited by Accountant General, Haryana every year and the audited accounts shall be submitted to Govt. by the Akademi within six months from the closing of the financial year.

11.General : All such administrative and financial matters which are not covered by these rules, shall be governed by Haryana Govt. Rules.

12.The Executive Council-cum-Standing Committee Cum selection Committee There shall be an Executive Council- cum Standing Committee-Cum selection committee of the Akademi consisting of following members:

(1) Chairman:

Financial Commissioner & Principle Secretary To Govt. of Haryana, Information, Public Relations & Cultural Affairs Deptt. cum Executive Vice- Chairman of the Akademi.

(2) Members:

1. Director, Information & Public Relations & Cultural, Affairs Deptt Haryana:
2. Director, Haryana Urdu Akademi, Panchkula
3. Director, Haryana Sahitya Akademi, Panchkula.
4. Director, Haryana Sanskrit Akademi, Panchkula.
5. Director, Haryana Punjabi Sahitya Akademi, Member Secretary.

6-7.Two members out of the non official members of the Governing Body may be nominated by the Executive Vice-Chairman of the Akademi.

Functions

(a) Every meeting of the Executive Council shall be presided over by its Chairman.

(b) Three members of the Executive Council present in person shall constitute the quorum. No quorum shall be required for adjourned meeting.

(c) The Executive Council shall meet at least every quarter a year.

(d) The Chairman of the Executive Council may himself call or by a requisition in writing may suggest the Director of the Akademi to call a meeting of the Executive Council at any time,

Powers:

1) To approve the programs & projects of the Akademi to be implemented and executed during the current year.
2) Executive Council shall work as Selection Committee also for the new appointments of the Akademi staff.
3) For re-appropriation of budget provision.
4) To consider such matters as are referred to it by the Chairman of the Akademi.

13. Repeal: The constitution and Rules as were notified by the Haryana Govt. Education Department vide Notification No. 5/2/96 EDU-1(U) dated 22.10.1996 are repealed and stood amended /modified.

DR. K.K. KHANDELWAL,
Financial Commissioner & Principal Secretary to Government Haryana,
Information, Public Relations & Cultural Affairs Department.

49274—C.S.—H.G.P., Chd.